

कार्यालय कार्यपालक अभियन्ता
लघु सिंचाई प्रमण्डल, रोहतास, सासाराम।

Mobile No :- 7033879794, Email id :- ee.mi.roh-bih@gov.in

पत्रांक:.....1018...../ सासाराम, दिनांक: 27/05/2026 /

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल,
रोहतास, सासाराम।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, पटना

विषय :-

पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 01/2026-27 को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस प्रमण्डल के अन्तर्गत पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना संख्या-01/2026-27 को सूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि संबंधित निविदा को मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा किया जाय।

अनु०- यथावत्

27/5/26

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल,
रोहतास, सासाराम
27.5.26

लघु जल संसाधन विभाग

"जल-जीवन-हरियाली"

पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना संख्या-01/2026-27

केवल ई०निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर
संवेदकों से दर प्रतिशत दर पर निविदा

पत्रांक- 1018 दिनांक- 27.05.2026

1.	विज्ञापन दाता का नाम	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, रोहतास, सासाराम।
2.	विज्ञापन निर्गत करने की तिथि	दिनांक-27.05.2026
3.	परिमाण विपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक-22.06.2026 से दिनांक-30.06.2026 के अपराह्न 05.00 बजे तक सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर।
4.	प्री-बीड मीटिंग का स्थान, तिथि एवं समय	मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के कार्यालय में दिनांक-23.06.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक।
5.	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक-30.06.2026 के अपराह्न 05.00 बजे तक सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर।
6.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक-01.07.2026 के पूर्वाह्न 10.00 बजे से संबंधित प्रमंडलीय कार्यालय में।
7.	तकनीकी निविदाओं का मुल्यांकन-	दिनांक-02.07.2026 से लगातार।
8.	वित्तीय बीड खोलने की तिथि	सक्षम प्राधिकार द्वारा बाद में घोषित किया जायेगा।
9.	निविदा की वैधता की अवधि	120 दिन
10.	कार्य की विवरणी	

क्र० सं०	योजना का नाम	जिला	प्रखण्ड	प्राकलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (लाख में)	परिमाण-विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑनलाईन मोड में भुगतान) (रुपये में)	बेल्डॉन को देय बीड प्रोसेसिंग मूल्य, सेवा शुल्क सहित (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑनलाईन मोड में भुगतान) (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	टेकरी आहर पईन का जीर्णोद्धार कार्य	रोहतास	चेनारी	79.84	1.597	10000	3540	06 (छः) माह

11	(i) 25 लाख से कम राशि की निविदा में जो संवेदक लघु जल संसाधन विभाग में समोचित श्रेणी में निर्बंधित है, केवल वही संवेदक भाग ले सकते हैं।							
12	<p>(क) E.Tendring/E.Procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बीड प्रोसेसिंग शुल्क परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) का भुगतान Online Mode (E.Payment Mode) यानी Internet Payment Gateway (Credit/Debit card) Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।</p> <p>(ख) E.Tendring/E.Procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि Online Mode (E.Payment Mode) अथवा Online Mode के तहत Bid Security की राशि/Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card) Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है।</p> <p>(ग) "Bids along with necessary online payments must be submitted through E.Procurement Portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time of submission mentioned in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/non submission of Tender/Non Reconciliation of online payment caused due to non availability of Internet connection, Network Traffic/Holidays or any other reasons".</p> <p>(घ) "BSEDC Processing fee and Tender Fee/BOQ fee has to be paid through E.payment mode only. Bid Security may be paid either through online."</p>							
13	Physical Mode/Manual Payment System के तहत अग्रधन की राशि मात्र बिना शर्त वाली बैंक गारंटी (as per the format in SBD) जो बीड के मान्य अवधि एवं 45 दिनों (120 दिन + 45 दिन=165 दिन) तक के लिए विहार अवस्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से/वित्त नियमावली में प्रावधानित किसी भी रूप में होना चाहिए, जो कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल,रोहतास, सासाराम के पदनाम से प्रतिज्ञित होना चाहिए। परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है। अनुसूचित राशि Bid Security के रूप में देना होगा। Bid Security के रूप में उक्त वर्णित बैंक गारंटी निविदा निर्गत की तिथि एवं निविदा अपलोड होने की तिथि के बीच निर्गत होना चाहिए। ऐसा नहीं रहने पर संवेदक को अमान्य कर दिया जायेगा।							
14	प्राकलित राशि एवं अग्रधन की राशि में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी हो सकती है। परिमाण विपत्र में अंकित प्राकलित राशि एवं अग्रधन की राशि मान्य होगी।							
15	संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात या अग्रधन की राशि/सभी प्रमाणपत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है, को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। संवेदक मूल कागजातों को स्कैन कर अपलोड करने के पूर्व							

	सूचीबद्ध करते हुए क्रम अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख PDF, M.S Office (Compatibility Mode) JPEG, ZIP Format में ही अपलोड किया जाये अन्य Format में Upload Document के Download/Open होने पर या अस्पष्ट होने पर इस के कागजात पर विचार नहीं होगा। संवेदक स्कैन कर अपलोड किये गये कागजातों की Download एवं Visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे। अनावश्यक कागजात वांछित नहीं होगा।
16	इंटरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध में संवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदक को चाहिए की तकनीकी कारणों के कारण अंतिम समय के कठिनाईयों से बचने हेतु बीड को पूर्व में ही अपलोड कर लें।
17	अधीक्षण अभियंता (मुख्यालय अनुश्रवण) लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-1010 (मो०) दिनांक-18.07.2023 के द्वारा दर प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender/ Unlimited Rate) मान्य होगी। एक से अधिक निविदा दाता का न्यूनतम दर समान होने पर लॉटरी के माध्यम से निविदा का निर्वाचन किया जायेगा।
18	मिट्टी कार्य मद के लिए अनुसूचित दर से अधिक अथवा कम उद्धृत दर की गणना खनन कर (Royalty) घटाकर की जायेगी।
19	लोकहित/कार्यहित को दृष्टिगत रखते हुए वैसे सभी निविदा दाताओं की निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा जिनके विरुद्ध पूर्व में निष्पादित/प्रक्रियाधीन निविदाओं में संलग्न किये गये कागजातों/अभिलेखों के फर्जी होने का साक्ष्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये हैं या उनके विरुद्ध बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली-2007 एवं निविदा में निहित शर्तों के आलोक में एफ0आई0आर0 दर्ज करने एवं डिबार/कालीकृत करने की कार्यवाई की गयी है या प्रक्रियाधीन है।
20	Eligibility Criteria के लिए लघु जल संसाधन विभाग का पत्रांक-1374 (मो०) दिनांक-05.12.2017, पत्रांक-746 (मो०) दिनांक-04.08.2021, पत्रांक 1046 (मो०) दिनांक 29.05.2020 एवं मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भूगर्भ), लघु जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक- 474, दिनांक- 01.06.2023 का पालन किया जायेगा।
21	निविदा का एकरारनामा F2 Form में कार्य की राशि के अनुसार किया जायेगा। F2 एकरारनामा में कांडिका 23 विलोपित रहेगा।
22	निविदा देने के पूर्व संवेदक प्रस्तावित कार्यस्थल से अवगत हो लेंगे। बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यदि किसी कारणवश कार्य तुरंत शुरू होने में कोई दिक्कत (स्थानीय ग्रामीणों, अतिक्रमण इत्यादि) होने की संभावना हो तो संबंधित कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, रोहतास, सासाराम को सूचित करेंगे। ऐसी सभी संभावनाओं को प्री बीड में अनिवार्य रूप से बताया जाय। अतः संवेदक से आशा की जाती है कि वे प्री बीड मीटिंग में आने से पूर्व स्थल का पूरा भ्रमण कर लेंगे एवं स्थानीय मुखिया एवं ग्रामीण से भी संपर्क कर लेंगे।
23	कार्य का भुगतान विभाग द्वारा निधि की उपलब्धता के पश्चात् किया जायेगा। विलम्ब से भुगतान होने की स्थिति में किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा साथ ही इस संबंध में आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
24	सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
25	बिहार भवन एवं सन्निमार्ग कर्मकार बोर्ड के मद में संवेदक के प्रत्येक विपत्र से 1%(एक प्रतिशत) राशि लेकर सेस के रूप में देय होगी जो विपत्र से काट ली जायेगी।

26	यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त की तिथि को अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्यकारी दिन को नियत समय पर प्राप्त की जायेगी एवं खोली जायेगी।
27	समय-समय पर बिहार सरकार द्वारा दिया गया अनुदेश, निविदा एवं एकरारनामा का अभिन्न अंग होगा एवं इस विज्ञप्ति की सभी कड़िका/शर्तें एकरारनामा का अंश समझी जायेगी।
28	चरित्र प्रमाणपत्र एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल रोहतास, सासाराम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। चरित्र प्रमाण पत्र सम्बंधित जिला के एस०पी० कार्यालय से निर्गत होना चाहिए।
29	कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जाँच संवेदक को सरकारी लैब से अपने खर्च पर कराना आवश्यक होगा।
30	"I, the undersigned, do thereby certify that all statement made in the require attachments are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing." का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
31	इस निविदा में वैसे ही निविदाकारों के निविदा पर विचार किया जायेगा, जो किसी भी विभाग से Blacklisted/Debarred नहीं हो एवं उनके स्तर पर लघु जल संसाधन विभाग द्वारा आवंटित कोई कार्य, कार्य समाप्ति की अवधि तक लंबित नहीं है। इस सम्बन्ध में निम्नांकित शपथ पत्र देना अनिवार्य है। (क) लघु जल संसाधन विभाग में कोई कार्य एकरारित कार्य समाप्ति अवधि तक लंबित नहीं है का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। (ख) डिबार / कालीकृत / रिसाईन्ड नहीं है से संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
32	संवेदक को कार्य के दौरान विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के साथ सचरित्रता एवं सद्व्यवहारिकता से संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
33	कोई निकटतम सम्बन्धी / परिवारिक सम्बन्धी (अभिप्रेरित पति, पत्नी, माता, पिता, भाई बहन एवं ससुराल से सम्बन्धीत सदस्य) विभाग के संबंधित कार्यालयों में कार्यरत नहीं है से संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
34	बिना कारण बताये एवं बिना पूर्व सूचना के पूरी निविदा अथवा इसके किसी खास अंश को किसी भी स्तर पर रद्द करने एवं विस्तारित तथा रिस्टोर करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी / सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित होगा।
35	विशेष जानकारी हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, रोहतास, सासाराम / अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना / मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के कार्यालय में कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है एवं वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है तथा ईटेंडरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी / सूचना हेतु Toll Free Number: 1800 572 6571 सहायता कक्ष Mjunction Services Limited RJ Complex, 2 nd Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road, P.S.-Shastri Nagar, Patna-800014, Bihar पर Working Hours: 8AM to 7PM (All days in week except Sunday and few selected state holidays) संपर्क किया जा सकता है।
36	बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर दिय गये निदेश के तहत जी०एस०टी० / स्वामित्व / मालिकाना फीस / अन्य कर की कटौती किया जायेगा।



37	सभी तरह का शपथ पत्र निविदा निर्गत होने की तिथि के बाद का ही मान्य होगा।
38	विभागीय पत्रांक-746 दिनांक-04.08.2021 के अनुरूप निविदा में अभिलेख संलग्न करना होगा।
39	निविदाकारों द्वारा निविदा कागजातों के साथ संलग्न सभी कागजातों की सत्यता के संबंध में घोषणापत्र/शपथ पत्र (जो निविदा सूचना प्रकाशन के बाद का हो) एकरारनामा के पूर्व लघु सिंचाई प्रमंडल, रोहतास, सासाराम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
40	संवेदक को निविदा के साथ अपना पत्राचार पता एवं स्थायी पता, ई-मेल एवं दूरभाष संख्या या मोबाइल एवं Whatsapp नम्बर देना अनिवार्य होगा।
41	निविदा से संबंधित सभी कागजात केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे तथा निविदा में सफल निविदाकार को आवश्यक कागजात जैसे-सभी शपथ पत्र (मूल में), बैंक गारंटी (मूल में), एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, रोहतास, सासाराम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। दिनांक-31.01.2024 के आलोक में दिये गये निर्देश का पालन किया जाएगा।
42	किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।
43	Certified that statement showing values of all existing commitment and ongoing works as well as stipulated period of completion remained for each work attached with the tender is true and no fact has been hidden. का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
44	खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार का पत्रांक 4418/एम0, पटना दिनांक 19.11.2024 के अनुसार कार्य में व्यवहृत लघु खनिजों का चालान अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा। चालान नहीं जमा करने पर पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार रायल्टी की राशि 25 गुणा दण्ड के रूप में कटौती की जाएगी।
45	किसी प्रकार का आपत्ति निविदा में भाग लेने वाले संवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर में शपथ पत्र के साथ देने पर ही विचार किया जाएगा।

24/11/24

24/11/24

कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, रोहतास, सासाराम